

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5262/2026

Jagatsingh S/o Chajjan Singh, R/o Deegli, P.s. Kotkaasim,  
District Khairthal-Tijara, Rajasthan.

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

---

|                   |   |                          |
|-------------------|---|--------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Abhishek B. Sharma   |
| For Respondent(s) | : | Mr. Amit Kumar Gupta, PP |

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**22/05/2026**

प्रार्थी—अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पुलिस थाना कोटकासिम, जिला—खैरथल—तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—24/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 16, 54, 54(ए) राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में अग्रिम जमानत का लाभ देने के लिये यह प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी—अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि मौके पर से प्रार्थी—अभियुक्त के आधिपत्य से कोई भी अवैध शराब बरामद नहीं हुई है। उनका तर्क है कि जिस वाहन (पिकअप) से 10 लीटर अवैध शराब बरामद होना बताया गया है, वह प्रार्थी—अभियुक्त का नहीं है। प्रार्थी—अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई राजस्थान आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण संस्थित नहीं है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रार्थी—अभियुक्त अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है। उसके गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी। अतः अग्रिम जमानत का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाए।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण 10 लीटर अवैध शराब की बरामदगी से संबंधित है। उनका तर्क है कि प्रार्थी—अभियुक्त मौके से

भाग गया था, जिसे हमराजी जाब्ले के सिपाही बृजेश कुमार ने पहचाना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी-अभियुक्त की अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थी-अभियुक्त पर धारा 16, 54, 54(ए) राजस्थान आबकारी अधिनियम का अभियोग है। प्रकरण 10 लीटर अवैध शराब की बरामदगी से संबंधित है। प्रार्थी-अभियुक्त का मौके पर उपस्थित नहीं होना और जिस वाहन से अवैध शराब बरामद की गई है, प्रार्थी-अभियुक्त को उसका स्वामी नहीं होना बताया गया है। अतः प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं इस प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थी-अभियुक्त अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है, इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 27.05.2026 को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में सहयोग करेगा और अनुसंधान अधिकारी प्रार्थी-अभियुक्त से आवश्यक अनुसंधान कर प्रकरण की केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी सुनवाई तिथि पर विद्वान लोक अभियोजक के मार्फत् न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

पत्रावली जुलाई 2026 के प्रथम सप्ताह में सूचीबद्ध की जाए, तब तक इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाये। प्रार्थी-अभियुक्त के दिनांक 27.05.2026 तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह अंतरिम आदेश स्वतः निरस्त समझा जावे।

(SHUBHA MEHTA),J